



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122020-223893
CG-DL-E-23122020-223893

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4111]
No. 4111]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2020/पौष 2, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020/PAUSHA 2, 1942

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4674(अ).—जबकि दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान में कुछ संशोधन करने के लिए उसके समीक्षा कार्य के रूप में केंद्र सरकार ने प्रस्ताव किया था, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11-क की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार कथित नोटिस की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में सार्वजनिक सूचना दिनांक 31.07.2020 के का.आ. सं. 2556 (अ) के रूप में प्रकाशित किए गए थे।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।

3. जबकि, केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. इसलिए, अब, केंद्र सरकार, कथित अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

एमपीडी 2021 में प्रावधान	
अध्याय 4.0 आश्रय का पैरा 4.2.3.4	
वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
iii) स्कीम, भूमि के आवासीय घटक (जिसमें सुविधा अर्थात् परियोजना/स्कीम के अंतर्गत बसी हुई जनसंख्या के आधार पर अध्याय 3 की तालिका 3.3 में संकेतित स्तर हेतु सुविधा शामिल है) पर संपूर्ण अधिकतम 400 के एफएआर सहित संयुक्त रूप से डिज़ाइन की जानी चाहिए और एफएआर भूमि के लाभकारी घटक पर उतना ही लागू होगा जितना संगत भूमि उपयोग पर लागू है।	iii) स्कीम, भूमि के आवासीय घटक (जिसमें सुविधा अर्थात् परियोजना/स्कीम के अंतर्गत बसी हुई जनसंख्या के आधार पर अध्याय 3 की तालिका 3.3 में संकेतित स्तर हेतु सुविधा शामिल है) पर संपूर्ण अधिकतम 400 के एफएआर सहित संयुक्त रूप से डिज़ाइन की जानी चाहिए। भूमि के लाभकारी घटक पर अधिकतम 300 एफएआर भूमि उपयोग के बावजूद लागू होगा। लाभकारी घटक में संपूर्ण 300 एफएआर के अंतर्गत विकासकर्ता संस्था द्वारा यथाप्रस्तावित किसी उपयोग/मिश्रित उपयोग को एमपीडी प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। यदि विकासकर्ता संस्था मिश्रित उपयोग का प्रस्ताव करती है, तो विशेष उपयोग के लिए उपयोग किए गए एफएआर पार्किंग और अन्य विकास नियंत्रण मानदंड यथाअनुपात आधार पर लागू होंगे।

[फा. सं. के-12011/5/2020-डीडी-I]

उपेंद्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2020

S.O. 4674(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. 2556 (E) dt. 31.07.2020 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty five days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications :

Provision in MPD - 2021	
Para 4.2.3.4 of Chapter 4.0 Shelter	
Existing Provisions	Proposed Amendments/Modifications
iii) The scheme should be designed in a composite manner with an overall maximum FAR of 400 on the residential component of the land [(including facilities i.e. Facility for the level as indicated in Table 3.3 of Chapter 3 based on the population accommodated under the Project/scheme)] and FAR on the remunerative component of land shall be as applicable for the relevant land use.	iii) The scheme should be designed in a composite manner with an overall maximum FAR of 400 on the residential component of the land (including facilities i.e. Facility for the level as indicated in Table 3.3. of Chapter-3 based on the population accommodated under the project/ scheme). <i>The maximum FAR of 300 on the remunerative component of the land shall be applicable irrespective of the land use.</i> <i>Any use/ mix of uses shall be permitted as proposed by the developer entity within the overall FAR of 300, in the remunerative component as per MPD provisions.</i> <i>In case the developer entity proposes mix of uses, the parking and other development control norms will be applicable on pro-rata basis, on the FAR utilized for the particular use.</i>

[F. No. K-12011/5/2020-DD-I]

UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.